08/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

मूल वाद में धारा 10 CPC के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती वाद संख्या 439/2022 के निस्तारण तक इस वाद की कार्यवाही को रोका गया है। विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण पूर्ववर्ती वाद 439/2022 के निर्णय के पश्चात ही होगा। इस दौरान वर्णित भूमि के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के मध्य कोई अन्यथा विवाद न हो। इस हेतु दिनांक 09-7-2024 को न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाना न्यायसंगत है। अतः बाद सुनने वकुलाय प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम माताजी वाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 272 रकबा 1.53 हैक्टेयर के मौके की यथास्थिति पूर्ववर्ती वाद 439/2022 के निर्णय तक कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली.